राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांकः प.8(35)राज/वाद/19 जयपुर, दिनांक 9/7/2019

:: आदेश ::

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 व लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेन्ट मैन्युअल 1999 के नियम 15,16 एवं 17 के अनुसरण में तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 (1989 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 22) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री गोविन्द प्रसाद शर्मा, अधिवक्ता (एनरोलमेन्ट नं0 आर/102/91) को विशिष्ठ न्यायालय (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण), करौली में राज्य पक्ष की ओर से प्रकरणों की पैरवी करने हेतु विशिष्ठ लोक अभियोजक (अजा/अजजा,अ.नि.प्र.), करौली के पद पर मासिक रिटेनरशिप रूपये 16,800/- प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया जाता है।

श्री सुरेश चन्द शर्मा, विशिष्ठ लोक अभियोजक (अजा/अजजा, अ.नि.प्र.), करौली को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है।

आज्ञा से

sd
(चंचल मिश्रा)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशेषाधिकारी (वाई) मुख्यमंत्री कार्यालय।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
5. महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
6. अतिरिक्त महाधिवक्तागण, जयपुर/जोधपुर।
7. राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
8. जिला एवं सैशन न्यायाधीश, करौली।
9. विशिष्ठ न्यायाधीश (अजा/अजजा, अ.नि.प्र.), करौली।
10. जिला कलक्टर, करौली।
11. कोषाधिकारी, करौली।
12. संबंधित अभियोजक।
13. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
14. समस्त उपविधि परामर्शी, विधि विभाग।
15. लेखाधिकारी, विधि(वादकरण) विभाग।
16. प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
17. रक्षित पत्रावली।

9/7
(चंचल मिश्रा)
शासन सचिव, विधि

राजस्थान सरकार

विधि एवं विधिक कार्य विभाग

(राजकीय वादकरण)

क्रमांकः प.8(35)राज/वाद/19 जयपुर, दिनांक 9/7/2019

:: आदेश ::

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 (3) व लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेन्ट मैन्युअल 1999 के नियम 15(2) 16 एवं 17 के अनुसार निम्नांकित अभिभाषकों को उनके नाम के सम्मुख पद व स्थान तथा मासिक रिटेनरशिप रूपये 14,700/— प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो, राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु नियुक्त किया जाता है :—

क्र0सं0	नाम अभिभाषक	एनरोलमेन्ट नं0	पद नाम/स्थान
1	श्री गोविन्द लाल चतुर्वेदी	आर/389/84	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, करौली।
2	श्री खैमसिंह	आर/356/84	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सं01,हिण्डौनसिटी, जिला करौली

निम्नांकित अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है।

क्र0सं0	नाम अभिभाषक	पद नाम
1	श्री मिथलेश पाल	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, करौली।
2	श्री विक्रम पाल सिंह	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सं01,हिण्डौनसिटी, जिला करौली

आज्ञा से

(चंचल मिश्रा)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशेषाधिकारी (वाई) मुख्यमंत्री कार्यालय।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
5. महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
6. अतिरिक्त महाधिवक्तागण, जयपुर/जोधपुर।
7. राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
8. जिला एवं सैशन न्यायाधीश, करौली।
9. अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश करौली/सं0 1 हिण्डौनसिटी, जिला करौली।
10. जिला कलक्टर, करौली।
11. कोषाधिकारी, करौली।
12. संबंधित अभियोजक।
13. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
14. समस्त उपविधि परामर्शी, विधि विभाग।
15. लेखाधिकारी, विधि(वादकरण) विभाग।
16. प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
17. रक्षित पत्रावली।

9/7

(चंचल मिश्रा)
शासन सचिव, विधि

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांकः प.8(35)राज/वाद/19 जयपुर, दिनांक 9/7/2019

:: आदेश ::

दण्ड प्रक्रिया संहिंता की धारा 24 व लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेन्ट मैन्युअल 1999 के नियम 15(2) 16 एवं 17 तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 32 के अनुसार विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, करौली में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु श्री महेन्द्र कुमार मुदगल, अधिवक्ता, एनरोलमेन्ट नं0 आर/2959/07 को विशिष्ठ लोक अभियोजक, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, करौली के रिक्त पद पर मासिक रिटेनरशिप रूपये 16,800/— प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया जाता है।

आज्ञा से

(चंचल मिश्रा)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशेषाधिकारी (वाई) मुख्यमंत्री कार्यालय।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
5. महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
6. अतिरिक्त महाधिवक्तागण, जयपुर/जोधपुर।
7. राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
8. जिला एवं सैशन न्यायाधीश, करौली।
9. विशिष्ठ न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, करौली।
10. जिला कलक्टर, करौली।
11. कोषाधिकारी, करौली।
12. संबंधित अभियोजक।
13. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
14. समस्त उपविधि परामर्शी, विधि विभाग।
15. लेखाधिकारी, विधि(वादकरण) विभाग।
16. प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
17. रक्षित पत्रावली।

9/7

(चंचल मिश्रा)
शासन सचिव, विधि

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांकः प.8(35)राज/वाद/19 जयपुर, दिनांक 9/7/2019

:: आदेश ::

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 (3) व लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेन्ट मैन्युअल 1999 के नियम 15(2) 16 एवं 17 के अनुसार श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी, अधिवक्ता (एनरोलमेन्ट नं0 आर/823/93) को जिला एवं सेशन न्यायालय, करौली में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, करौली के पद पर मासिक रिटेनरशिप रूपये 16,800/– प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया जाता है।

श्री सन्तोष कुमार सिंह, लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, करौली को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है।

आज्ञा से

(चंचल मिश्रा)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशेषाधिकारी (वाई) मुख्यमंत्री कार्यालय।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
5. महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
6. अतिरिक्त महाधिवक्तागण, जयपुर/जोधपुर।
7. राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
8. जिला एवं सैशन न्यायाधीश, करौली।
9. जिला कलक्टर, करौली।
10. कोषाधिकारी, करौली।
11. संबंधित अभियोजक।
12. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
13. समस्त उपविधि परामर्शी, विधि विभाग।
14. लेखाधिकारी, विधि(वादकरण) विभाग।
15. प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
16. रक्षित पत्रावली।

9/7

(चंचल मिश्रा)
शासन सचिव, विधि